न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:- हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:-112/2022 तारीख रजु 09.06.2022

जीसीएमएस आई0डी0:-2022/294

भीमसिंह पुत्र दौली, जाति जाट, नियासी-पीपलहेडा, हाल निवासी-हिण्डौनसिटी, जिला-करौली (राज0)

---सायल

बनाम

1. अंगूरी पुत्री प्रभु पत्नी हरज्ञान, जाति जाट, निवासी चंदीला. तहसील-हिण्डौनसिटी, जिला-करौली।
2. विद्या पुत्री प्रभु पत्नी शिवसिंह जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील-सूरीठ, जिला-करौली

2/1 धीरेन्द्र पुत्र विद्या } जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील सूरौठ
2/2 राजवीर पुत्र विद्या } जिला करौली राज0

3. सब रजिस्ट्रार, हिण्डौनसिटी
4. तहसीलदार, तहसील -हिण्डौनसिटी, जिला - करौली

-गैरसायलान-04

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः-1. श्री पी एल गोयल वकील सायलान
2. श्री रागरसिंह वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांक 7-3-2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1001, रकबा 20 ऐयर व खसरा नम्बर 942, रकबा 17 ऐयर, कुल किता 2. कुल रकबा 37 ऐयर स्थित ग्राम पीपलहेडा, तहसील हिण्डौन है। जिसमें सायल 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है व अपने हिस्सेपर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

आराजी खसरा नम्बर 1063, रकबा 14 ऐयर, खसरा नम्बर 1064, रकबा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 1065, रकबा 3 ऐयर, खसरा नम्बर 1066, रकबा 3 ऐयर, खसरा नम्बर 1067, रकबा 8 ऐयर, खसरा नम्बर 1068, रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1069, रकबा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 1070, रकबा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 1071 रकबा 8 ऐयर, खसरा नम्बर 1072 रकबा 38 ऐयर, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:32:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

1074. रकवा 14 ऐयर, खसरा नम्बर 1075, रकवा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1076, रकवा 14 ऐयर, कुल किता 13, कुल रकवा 1.60 हैक्टेयर स्थित ग्राम पीपलहेडा, तहसील–हिण्डौन है, जिसमें सायल 11/2160 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

आराजी खसरा नम्बर 1078, रकवा 8 ऐयर, खसरा नम्बर 1080, रकवा 5 ऐयर, खसरा नम्बर 1081, रकवा 4 ऐयर, खसरा नम्बर 1082, रकवा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 1083, रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 1084, रकवा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 1085, रकवा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 1086, रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 1087, रकवा 9 ऐयर, कुल किता 9 कुल रकवा 80 ऐयर स्थित ग्राम पीपलहेड़ा तहसील हिण्डौन हैं। जिसमें सायल 1/32 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

आराजी खसरा नम्बर 1000, रकवा 18 ऐयर, खसरा नम्बर 1006, रकवा 1 ऐयर, खसरा नम्बर 1007, रकवा 30 ऐयर, खसरा नम्बर 1015, रकवा 24 ऐयर, खसरा नम्बर 1016, रकवा 21 ऐयर, खसरा नम्बर 1241, रकवा 27 ऐयर, कुल किता 6 कुल रकवा 1.21 है० स्थित ग्राम पीपलहेड़ा तहसील हिण्डौन है। जिसमें सायल 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

आराजी खसरा नम्बर 1000/1395. रकवा 3 ऐयर, खसरा नम्बर 1004, रकवा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 1017, रकवा 7 ऐयर, कुल किता 3 कुल रकवा 17 ऐयर स्थित ग्राम पीपलहेड़ा तहसील हिण्डौन है। जिसमें सायल 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

आराजी खसरा नम्बर 1259 रकवा 24 ऐयर स्थित ग्राम पीपलहेड़ा तहसील हिण्डौन है, जिसमें सायल 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर काश्त करता चला आ रहा है।

आराजी खसरा नम्बर 1009, रकवा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 1010, रकवा 15 ऐयर, खसरा नम्बर 1011, रकवा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1012, रकवा 26 ऐयर, कुल किता 4 कुल रकवा 77 ऐयर स्थित ग्राम पीपलहेड़ा तहसील हिण्डौन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

जिसमें सायल 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

आराजी खसरा नम्बर 1018, रकवा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 1019, रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 1020, रकवा 14 ऐयर, खसरा नम्बर 1021, रकवा 14 ऐयर, खसरा नम्बर 1024, रकवा 18 ऐयर, खसरा नम्बर 1025, रकवा 17 ऐयर, कुल किता 6 कुल रकवा 84 ऐयर स्थित ग्राम पीपलहेड़ा तहसील हिण्डौन है। जिसमें सायल 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

आराजी खसरा नम्बर 1077, रकया 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1079, रकवा 15 ऐयर, कुल किता 2 कुल रकया 31 ऐयर स्थित ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन है। जिसमें सायल 1/32 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

आराजीयात मुलजिक्रा मद नम्बर 02 ता 10 प्रार्थना पत्र सायल एवं गैरसायलान तथा दावे के प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है। सायल के बाबा ममोल के तीन पुत्र दुर्गालाल, प्रभु व दौली हुए जिनमें दुर्गालाल के तीन पुत्र रामस्वरूप, आलम सिंह व अतरसिंह तथा रामस्वरूप व आलमसिंह के फौत होने पर रामस्वरूप के वारिस दावे में प्रतिवादी नम्बर 10 ता 15 है तथा आलमसिंह पुत्र दुर्गालाल के वारिस दावे में प्रतिवादी नम्बर 02 ता 06 हैं तथा अतरसिंह पुत्र दुर्गालाल दावे में प्रतिवादी नम्बर 01 है तथा प्रभु पुत्र ममोल के दो पुत्र दरबसिंह व मोहन सिंह रहे हैं तथा दो पुत्रियां अंगूरी व विद्या जो गैरसायल नम्बर 01 व 02 हैं जो शादी के बाद अपनी ससुराल रहती है तथा दरबसिंह का स्वर्गवास हो चुका है व उसने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि अपने परिवारजना [illegible] तथा मोहनसिंह पुत्र प्रभु लाऔलाद फौत हो चुका है तथा ममोल के तीसरे पुत्र दौली के तीन पुत्र नवलसिंह, भीमसिंह व चरणसिंह हैं, जिनमें सायल भीमसिंह है तथा नवलसिंह दावे में प्रतिवादी नम्बर 07 व चरण सिंह प्रतिवादी नम्बर 16 है। उक्त सभी दावे के प्रतिवादीगण व सायल/वादी के मध्य तथा [illegible] के मध्य कानूनन विधि अनुसार उक्त आराजीयात [illegible] नहीं हुआ है तथा भूमि शामलाती मुताबिक राजस्व रिकार्ड है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायल व उसके परिवारजनों तथा अन्य सहखातेदारों ने आपस में काश्त की सहूलियत हेतु आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 ता 10 प्रार्थना पत्र का मौके पर वहामी बंटवारा कर रखा है. मगर फसल की बुवाई, कटाई व फसल आदि रखने को लेकर सहखातेदारों के मध्य डौलमेंड को लेकर आपसी तनाजा रहता है और अक्सर कहासुनी हो जाती है, इसलिये उपरोक्त आराजीयात का विधिवत तकास्मा कराया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाका दिनांक 29.05.2022 का है कि सायल उपरोक्त आराजीयात में अपने हिस्से की भूमि में आगामी फसल की काश्त की व्यवस्था हेतु साफसफाई कर रहा था कि इतने में ही गैरसायल नम्बर 01 व 02 मौके पर आयीं और कहा कि आप इस जमीन की साफसफाई मत करो, हम मृतक मोहनसिंह की खास बहिन होने के कारण कानूनन उसकी वारिस हैं और उसके हिस्से को प्राप्त करने की अधिकारी हैं और इस जमीन को हम अपने नाम कराकर दीगर लोगों को विक्रय कर उसका वयनामा उनके हक में पंजीबद्ध कराकर कब्जा करा देंगे, तुम्हारा इस जमीन से कोई लेनादेना नहीं है, इस जमीन से चले जाओ, जिस पर सायल ने कहा कि इस जमीन में मेरा हिस्सा है और मैं अपने हिस्से पर काबिज हूं तथा तुम जमीन का विधिवत तकास्मा करा लो और उसके पश्चात् तुम चाहो जा करना तो गैरसायलान एकदम नाराज हो गयीं और कहा कि तुमने ज्यादा कुछ कहा तो इस जमीन को लठैत लोगों को बेचकर इस पर कब्जा करवा देंगी, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तकास्मा कराने से मना कर दिया तथा सायल द्वारा दावे के अन्य प्रतिवादीगण से भी उक्त भूमि का तकास्मा कराने के लिये कहा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं हुए। अगर गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से दृष्य से संभव नहीं हो सकेंगी। इसलिये सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल नम्बर 01 व 02 को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह आराजीयात खसरा नम्बर 1001, 942, 1063 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1078, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1000, 1006, 1007, 1015, 1016, 1241, 1000/1395. 1004, 1017, 1259,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

1009, 1010, 1011, 1012, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1077, 1079 स्थित ग्राम पीपलखेड़ा, तहसील हिण्डौन में सायल के हिस्से से उसे जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करें और गैरसायल नम्बर 01 व 02 उक्त भूमि का बिना विधिवत विभाजन कराये उसे दीगर लठैत लोगों को भूमि को रहनवय नहीं करें और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज गैरसायल नम्बर 03 के कार्यालय में पंजीबद्ध करावें, सायल को उसके हिस्से से जबरन बेदखल नहीं करें और ना ही सायल को उपरोक्त आराजीयात में उसके हिस्से में फसल आदि काश्त करने व उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार का व्यवधान कारित करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे सायल को उक्त आराजीयात में उसके हिस्से के कानूनी हकहकूक व अधिकार में कोई व्यवधान किसी प्रकार का पैदा हो। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान न0 1 व 2 की ओर से को श्री सुगरसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं आदेशिका दिनांक 20.05.2024 से जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 1 में सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत एवम झूंठा दावा पेश करना स्वीकार है। जिसमें उनको सफलता का कोई चांस नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया है। आंशिक रूप से स्वीकार है, तथा गैरसायल न0 1 व 2 का सगा भाई मोहनसिंह पुत्र प्रभु है जो कि वर्तमान में रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबंदी पर हाल में नाम दर्ज चला आ रहा है, जिसका उक्त जमीन में 1/2 हिस्सा निहित है। गैरसायलान न0 1 व 2 का सगा भाई मोहनसिंह लाऔलाद फौत हो चुका है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है, तथा रिकॉर्डेड़ खातेदार मोहनसिंह जाटव प्रभु फौत हो चुका है, उक्त रिकॉर्डेड खातेदार [illegible] गैरसायल न0 8 व 9 सगी बहिन है, तथा गैरसायल नम्बर 1 व 2 [illegible] काबिज काश्त चली आ रही है, उक्त मृतक मोहनसिंह [illegible] /1440 हिस्सा पर काश्त करते चले आ रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, जिसमें रायल का हिस्सा 1/32 होना स्वीकार है, तथा गैरसायलान न0 1 व 2 मृतक भाई मोहनसिंह जाटव का 1/8 हिस्सा रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज मृतक मोहनसिंह के लाऔलाद के तर्कपर काबिज काश्त करते चली आ रही है। उक्त आराजीयात में गैरसायल न0 2 का 1/8 हिस्सा है।

5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है, तथा गैरसायल न0 1 व 2 का उक्त आराजीयात में 1/12–1/12 हिस्सा की खातेदारी काश्तकार है, जिसमें उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, तथा हाल जमाबंदी मृतक मोहनसिंह गैरसायल न0 1 व 2 का सगा भाई है, तथा मृतक मोहन सिंह के लाऔलाद फौत हो जाने से ही मृतक मोहनसिंह के तर्कपर गैरसायल न0 1 व 2 उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, तथा सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है।

6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, आंशिक रूप से स्वीकार है उक्त आरजीयात में गैरसायल न0 1 व 2 अंगूरी देवी व विद्या देवी का 5/48–5/48 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है, जिसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, मृतक मोहनसिंह लाऔलाद फौत हो चुका है, मृतक मोहनसिंह गैरसायल न0 1 व 2 का सगा भाई होने के कारण मृतक मोहनसिंह के तर्कपर काबिज काश्त चले आ रहे है।

7. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है, तथा गैरसायल न0 1 व 2 मृतक मोहनसिंह सगा भाई है, मृतक मोहनसिंह के तर्कपर गैरसायल न0 1 व 2 कब्जे काश्त का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, उक्त आराजीयात में गैरसायल न0 1 व 2 के मृतक भाई मोहनसिंह का 1/4 हिस्सा नियत है।

8. प्रार्थना पत्र का मद न0 8 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, उक्त आराजीयात में गैरसायल न0 1 व 2 मृतक भाई मोहनसिंह का 1/6 रिकॉर्ड का दर्ज मृतक मोहनसिंह जाटव लाऔलाद फौत हो चुका है, जिसके तर्के पर गैरसायल न0 1 व 2 काबिज है, तथा काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

9. प्रार्थना पत्र का मद न0 9 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है, उक्त आराजीयात मृतक मोहनसिंह का 1/6 हिस्सा की खातेदारी किये जमाबंदी में दर्ज है, तथा मृतक मोहनसिंह लाओलाद फौत हो चुका है जिसके तर्के पर गैरसायल न0 1 व 2 काबिज है, तथा काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तथा गैरसायल न0 1 व 2 मृतक मोहनसिंह सगे भाई बहिन है तथा मृतक मोहनसिंह के तर्के पर गैरसायल न0 1 व 2 काबिज हैं, तथा काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

10. प्रार्थना पत्र का मद न0 10 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार हैं, तथा रिकॉर्ड खातेदार जमाबंदी पर मोहनसिंह जाटव जो फौत हो चुका है। जिसका हिस्सा 1/8 रिकॉर्ड पर निहित है, मोहनसिंह जाटव फौत हो चुका है, मृतक मोहनसिंह के हिस्से की भूमि पर गैरसायल स01 व 2 मृतक मोहनसिंह के तर्के पर गैरसायल न0 1 व 2 काबिज है, तथा काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

11. प्रार्थना पत्र का मद न0 10 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है, दरवसिंह का स्वर्गवास हो चुका है व उसने अपने जीवन काल में अपने हिस्से की भूमि को कभी किसी को भी नही बताया, बल्कि दरवसिंह ने अपने जीवनकाल में गैरसायल न0 1 व 2 को बता रखा और उसी समय से गैरसायल न0 1 व 2 उपयोग उपभोग कर काश्त करती चली आ रही है, तथा मोहनसिंह जाट फौत हो चुका है, मोहनसिंह ने भी कभी किसी कुटुम्बी को अपने हिस्से की भूमि को नही बताया। बल्कि अपनी सगी बहिन गैरसायल न0 1 व 2 को बताया। मृतक मोहनसिंह पुत्र प्रभ्भु ने कभी भी नवलसिंह, भीमा, चरणसिंह को अपने हिस्से की भूमि को नहीं बताया है।

12. प्रार्थना पत्र का मद न0 12 अस्वीकार है, कभी भी डोल मेंडों को लेकर विवाद नहीं हुआ है, ना ही कोई कहन सुन हुयी है।

13. प्रार्थना पत्र का मद [illegible] जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है, दिनांक [illegible] गैरसायल न0 1 व 2 मौके पर नहीं गयी है, इस मद में [illegible] बात गैरसायल न0 1 व 2 ने सायल से नहीं कही है। सारी बात कपोल कल्पित दर्ज की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अधिकार में कोई [illegible] किसी [illegible] हो। मौके एवं रिकार्ड का [illegible] वकील ने दौराने बहस में

सायल ने प्रार्थना पत्र झूठा गलत पेश कर दिया है। सायल का प्राइंमाफेसी केस साबित नहीं है। ना ही सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में है।

जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल विरूद्ध गैरसायल न0 1 व 2 मय खर्चा खारिज किया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 280, जमावन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 76, जमावन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 178, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 226, जमाबन्दी संवत 2071--74 खाता संख्या 225, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 224, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 223, जमाबन्दी संवत 2071--74 खाता संख्या 221, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 177 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने वहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौरान दावा गैरसायल नम्बर 01 व 02 को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह आराजीयात खसरा नम्बर 1001, 942, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1078, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1000, 1006, 1007, 1015, 1016, 1241, 1000/1395, 1004, 1017, 1259, 1009, 1010, 1011, 1012, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1077, 1079 स्थित ग्राम पीपलहेडा, तहसील हिण्डौन में सायल के हिस्से से उसे जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करनें और गैरसायल नम्बर 01 व 02 उक्त भूमि का बिना विधिवत विभाजन कराये उसे दीगर लठैत लोगों को भूमि का रहनवय नहीं करनें और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज गैरसायल नम्बर 03 के कार्यालय में पंजीबद्ध करावें, सायल को उसके हिस्से से जबरन बेदखल नहीं करनें और ना ही सायल को उपरोक्त आराजीयात में उसके हिस्से में फसल आदि काश्त करने व उपभोग उपयोग करने में किसी प्रकार का व्यवधान कारित करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करनें जिससे सायल को उक्त आराजीयात में उसके हिस्से के कानूनी हकहकूक व अधिकार में कोई नुकसान [illegible] हो। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखनें का निवेदन किया। गैरसायलान वकील ने दौराने बहस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कहा गया कि खातेदार मृतक मोहनसिंह पुत्र प्रभु (लऔलाद) गैरसायल न0 1 व 2 का सगा भाई है। खातेदार मोहनसिंह पुत्र प्रभु के गैरसायल न0 1 व 2 ही कानूनी वारिसान हैं। गैरसायल न0 1 व 2 मृतक मोहनसिंह के तर्कपर काबिज है एवं उपयोग एवं उपभोग कर काश्त करते चले आ रहे है। सायल का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 280, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 76, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 178, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 226, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 225, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 224, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 223, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 221, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 177 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन में सायलान व मृतक मोहनसिंह पुत्र प्रभु राहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इसलिये सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 09.06.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 1001, 942, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076 1078, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1000, 1006, 1007, 1015, 1016, 1241, 1000/1395, 1004, 1017, 1259, 1009, 1010, 1011, 1012, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1077, 1079 स्थित ग्राम पीपलहेडा, तहसील हिण्डौन में रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 3 को मेरे द्वारा न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:53 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन